भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2596

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

संविदा कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी या वैधानिक बीमा

†2596. श्री दुलू महतोः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जोखिमपूर्ण औद्योगिक कार्यों में संलग्न संविदा श्रमिक स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समान चिकित्सा लाभ नहीं मिलते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों में चिकित्सा कवरेज में व्याप्त अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक इकाइयों में स्थायी और संविदा श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य कवरेज में असमानता के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का वर्तमान वेतन सीमा से अधिक वेतन पाने वाले संविदा श्रमिकों को ईएसआईसी या वैधानिक बीमा प्रदान करने या समानता के लिए अनिवार्य सामूहिक बीमा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) संविदा श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत किए गए नीतिगत संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): तत्कालीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत और अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस) के अध्याय IV जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी है, के तहत किसी कारखाने या प्रतिष्ठान (सामयिक कारखानों के अलावा) जहाँ दस या अधिक कर्मचारी हैं; के कार्य में या उससे संबंधित कार्य के लिए नियोजित कर्मचारी, जिनमें संविदा कामगार भी शामिल हैं, और जो 21,000/- रुपये की निर्धारित सीमा तक मासिक वेतन प्राप्त कर रहे है, उन्हें ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, ईएसआई कवरेज का विस्तार किसी अधिसूचित खतरनाक या जीवन के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में कार्यरत एकल कर्मचारी तक भी करती है, बशर्ते उसका मासिक वेतन 21,000/- रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

जारी.../-2

संविदा कामगारों का कवरेज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, प्रधान नियोक्ता की होती है, चाहे ऐसे कामगार सीधे तौर पर या किसी ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत हों।

ईएसआईसी के अंतर्गत चिकित्सा लाभों की पात्रता के संबंध में संहिता के तहत स्थायी और संविदा कामगारों के बीच कोई अंतर नहीं है। तदनुसार, इस योजना के दायरे में आने वाले स्थायी और संविदा कर्मचारियों के बीच वैधानिक स्वास्थ्य कवरेज में कोई असमानता नहीं है। अनुपालन न होने के मामलों, यदि कोई हो, का समाधान सक्षम अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण, निरीक्षण और शिकायत-आधारित निरीक्षणों के माध्यम से किया जाता है।

चिकित्सा पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने स्वयं के स्वास्थ्य ढांचे के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि ईएसआई लाभार्थी आपातकालीन स्थिति और संदर्भित मामलों में पीएम-जेएवाई के पैनल में शामिल अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकें। ईएसआईसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग भी करता है।

वर्तमान वैधानिक ढांचा ईएसआईसी के माध्यम से अंशदायी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है और निजी बीमाकर्ताओं के माध्यम से अनिवार्य समूह बीमा को अनिवार्य नहीं बनाता है। वर्तमान में, अनिवार्य समूह बीमा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और पात्र संविदा श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत स्थायी कर्मचारियों के समान ही है।

*****